Review Of Research
Volume-2, Issue- 4 , Jan -2013
ISSN : 2249-894X Available online at www. lbp.world

सड़क दुर्घटनाएं एवं मानवाधिकारों का उल्लंघन

डॉ.(श्रीमती) तनुजा बिरथरे

सारांश–

प्रस्तुत शोधपत्र सड़क दुर्घटनाओं में होने वाले मानवाधिकारों के उल्लंघन से संबंधित है। शोधार्थी ने अपने शोध अध्ययन में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की भूमिका का अध्ययन करने का प्रयास किया। राज्य स्तर पर मानवाधिकार आयोग गठित किए जाने के बावजूद भी वर्तमान में सड़क दुर्घटनाओं में आहत एवं व्यथित व्यक्ति के मानवाधिकारों का उल्लंघन, चिकित्सीय उपचार के दौरान होने पर भी उसे मानवाधिकार आयोग द्वारा विशेष अनुतोष प्राप्त नहीं होता है। मानवाधिकार अधिनियम 1993 में मानवाधिकार न्यायालय स्थापित करने के प्रावधान होने के बाद भी आज तक मानवाधिकार न्यायालय स्थापित न होने के कारण दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति को मानवाधिकार उल्लंघन के लिए समुचित अनुतोष प्राप्त नहीं होता। इस प्रकार मानवाधिकारों का उचित संवर्धन एवं संरक्षण भी नहीं हो पाता है। मानवाधिकार आयोग केवल अनुशंसा करने तक सीमित है।

प्रस्तावना–

मानवाधिकार से अभिप्राय है– मानवीय विकास का अधिकार। 10 दिसंबर 1948 के मानवाधिकारों के सार्वभौमिक घोषणापत्र के अनु. 25 (1) के स्वास्थ्य के अधिकार के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति और उसके परिवार को स्वास्थ्य के लिए पर्याप्त स्तरीय भोजन, पोशाक, घर, चिकित्सीय देखरेख और आवश्यक सामाजिक सेवा पाने और आरोग्यपूर्ण जीवन जीने का अधिकार है। भारतीय संविधान के अनु. 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत शामिल है– (क) स्वास्थ्य का अधिकार (ख) चिकित्सा सुविधा/चिकित्सक से चिकित्सा पाने का अधिकार। सन् 1990 में विश्व चिकित्सा संघ (WMA) ने मानवाधिकारों पर रैन्चोंमिराज कैलिफोर्निया में एक अध्यादेश पारित किया। सर्वप्रथम वैश्विक स्तर पर 'स्वास्थ्य सेवा प्रणाली'' पर 1978 में अल्माअटा घोषणापत्र में 'सभी के लिए स्वास्थ्य' को लक्षित किया गया।

भारत में हजारों लोग सड़क यातायात दुर्घटनाओं में पर्याप्त और समुचित चिकित्सा सुविधा न मिल पाने के कारण मारे जाते हैं अथवा स्थायी और अस्थायी तौर पर विकलांग हो जाते हैं। भारतीय संविधान के अनु. 21, 39 (ग), 41 व 43 के अंतर्गत स्वास्थ्य का अधिकार व चिकित्सा सेवा का अधिकार, मूलाधिकार के रूप में नागरिकों को उपलब्ध है। इस तरह सड़क दुर्घटनाओं में आहत व्यक्ति के मानवाधिकारों का संरक्षण, संवर्धन व परिपालन महत्वपूर्ण हो जाता है।

सड़क दुर्घटना – का मतलब है– किसी मार्ग पर पथिक का अनायास आहत होना। इसका सरल व शाब्दिक अर्थ है–मानव जन्य अथवा अन्य प्राकृतिक कारणों से मानव जीवन एवं अंगो पर विपरीत प्रभाव डालने वाली, एकाएक घटित होने वाली वे घटनाएं जिनका संबंध सड़क एवं वाहन से होता है। आहत होने पर, व्यक्ति अक्सर विकलांग हो जाता है जिसके परिणामस्वरूप उसके विधिक व मानवाधिकारों का उल्लंघन होता है।

26 अक्टूबर 2005 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने सड़क सुरक्षा पर एक अध्यादेश अंगीकृत किया जो 'सड़क यातायात उपहति निवारण' पर वैश्विक रिपोर्ट की संस्तुतियों को क्रियान्वित करने के लिए सदस्य राज्यों को आमंत्रित करता है।

भारत मे सड़क यातायात दुर्घटनाएं 3% वार्षिक की दर से बढ़ रही हैं। राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो के अनुसार भारत में प्रत्येक दो मिनट में एक दुर्घटना घटित होती है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की वर्ष 2003–2004 की रिपोर्ट के अनुसार विश्व में 3000 लोग प्रतिदिन सड़क दुर्घटना में आहत होते हैं, जिसमें अकेले भारत में 90,000 लोग प्रतिवर्ष मारे जाते हैं व 15 लाख लोग सड़क दुर्घटना में आहत होते हैं। अनुमानतः 4 लाख लोग

चोटों के कारण मारे जाते हैं, 75 लाख लोग अस्पतालों में भर्ती होते हैं तथा 35 लाख लोग साधारण उपहति के शिकार होते हैं, जिसका प्रमुख कारण वाहनों की अनियंत्रित गति हैं।

मानवाधिकार आयोग के कृत्य_– (शोध पत्र के विषय के संबंध में)

1. मानव अधिकारों का किसी लोक सेवक द्वारा अतिक्रमण कर दुष्प्रेरण किये जाने की दशा में (शोध पत्र विषय से संबंधित चिकित्सीय सुविधा का अधिकार, स्वास्थ्य का अधिकार, मानव अधिकार है अर्थात् सड़क दुर्घटना पीड़ित व्यक्ति को शासकीय चिकित्सालयों में ले जाये जाने पर किसी चिकित्सक या लोक सेवक द्वारा उसके मानवाधिकारों का उल्लंघन करने पर) राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग पीड़ित व्यक्ति की अर्जी पर अनुशंसा कर सकता है। या
2. (क) ऐसे अतिक्रमण के निवारण में किसी लोक सेवक द्वारा उपेक्षा के बारे में, शिकायत के बारे में जॉच करना। (ख) किसी न्यायालय के समक्ष लम्बित किसी कार्यवाही में जिसमें मानव अधिकारों के अतिक्रमण का कोई अभिकथन अन्तर्वलित है, उस न्यायालय के अनुमोदन से हस्तक्षेप /मध्यक्षेप करना। (ग) मानवाधिकारों के संरक्षण के लिए संविधान या तत्समय प्रवृत्त किसी कानून द्वारा या उसके अधीन प्रावधानित सुरक्षाओं का पुर्नवलोकन करेगा तथा उनके प्रभावी क्रियान्वयन के लिये सिफारिशें करेगा। (घ) मानव अधिकारों पर संन्धियों एवं अन्य अन्तर्राष्ट्रीय लेखो का अध्ययन करेगा तथा उनके प्रभावी क्रियान्वयन के लिये सिफारिशें करेगा। (च) मानव अधिकारों के क्षेत्र में अनुसंधान एवं उसे प्रोन्नत करेगा। (छ) समाज के विभिन्न खण्डों में मानव अधिकारों के सम्बंध में साक्षरता का प्रसार करेगा तथा प्रकाशकों, साधनों (मीडिया), सेमीनार एवं अन्य उपलब्ध साधनों के माध्यम से इन अधिकारों के संरक्षण के लिए उपलब्ध सुरक्षाओं के प्रति जागरूकता को विकसित करेगा। (ज) मानव अधिकारों के क्षेत्र में कार्य करने वाले गैर सरकारी संगठनों एवं संस्थाओं के प्रयत्नों को प्रोत्साहन देगा। (झ) ऐसे अन्य कृत्य करना जो मानव अधिकारों के संवर्धन के लिए आवश्यक समझे जाएं।

उद्देश्य –

सड़क यातायात दुर्घटनाओं में आहत व्यक्तियों के मानवाधिकारों के उल्लंघन एवं मानवाधिकार आयोग की भूमिका का अध्ययन करना।

परिकल्पना – 1. सड़क यातायात दुर्घटना में आहत व्यक्तियों के मानवाधिकारों के संरक्षण मे मानवाधिकार आयोग विफल दिखाई देता है।

अनुसंधान उपकरण– राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की रिपोर्ट पर आधारित है।

विश्लेषण–

भारत में मानवाधिकारों के संबंध में मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 प्रवृत्त है जिसकी धारा 30 और 31 प्रत्येक जिले में मानवाधिकार न्यायालय की स्थापना से संबंधित है। मानवाधिकार न्यायालयों के बारे में आन्ध्रप्रदेश, असम, सिक्किम, तमिलनाडु और उ.प्र. राज्यों में अधिसूचना जारी की जा चुकी है। मद्रास (चेन्नई) तथा गोहाटी में इनकी स्थापना कर दी गई है।

मानवाधिकार न्यायालयों की स्थापना के अभाव में मानवाधिकारों के संरक्षण, संवर्धन का कार्य, मानवाधिकार आयोग करता है। भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन 28 सितम्बर 1993 के मानवाधिकार अध्यादेश के अधीन अक्टूबर 1993 में किया गया है।

शोधार्थी द्वारा सड़क दुर्घटनाओं में चिकित्सीय लापरवाही जो कि मानवाधिकार के हनन का एक विषय है, पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग से जानकारी मांगी गई थी। इसके प्रतिउत्तर में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग द्वारा उत्तर दिया गया कि आयोग में आपात कालीन चिकित्सा सुविधा की सुलभता के मुद्दे पर एक विशेषज्ञ समूह का गठन किया था जिसने अपना प्रतिवेदन आयोग के समक्ष प्रस्तुत कर दिया। प्रतिवेदन को संबंधित मंत्रालयों को व सभी राज्यों के मुख्य सचिवों को अग्रेषित कर दिया। उक्त समिति के अध्यक्ष डॉ0 पी0के0दवे ने आयोग द्वारा भारत में आपात कालीन चिकित्सा सेवाओं की वर्तमान दशा– दिशा व बेहतरीकरण हेतु प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जिसके अनुसार उपलब्ध संसाधनों,उपकरणों के संबंध में न्यूनतम व अपरिहार्य मानदण्डों का आपातकालीन चिकित्सा सुविधा के संदर्भ में अभाव है। मरीजों को अस्पताल ले जाने वाली एम्बुलेस उन्हें केवल ढोने का काम करती है, न कि आहत व्यक्ति की समुचित देखभाल करने का । सरकार को एक राष्ट्रीय दुर्घटना नीति का निर्धारण व प्रतिपादन करना चाहिए।

आयोग ने शोधार्थी को जानकारी दी कि आयोग पृथक से सड़क यातायात दुर्घटना या उसमें चिकित्सीय लापरवाही के विषय में रिकार्ड नहीं रखता है। सड़क हादसे के गवाह आमतौर पर घायलों को इसलिये अस्पताल नहीं पहुंचाते कि ऐसा करने पर पुलिस उन्हें जांच के नाम पर परेशान करेगी व उन्हें न्यायालय के चक्कर भी लगाने पड़ेंगे। हादसों में सहायता करने वालों को परेशानी से बचाने के लिए सरकार को चाहिए कि वह पर्याप्त कानून बनाए व कानून बनने तक तत्संबंध में गाईलाईन जारी करे। सड़क दुर्घटना पीड़ित की मदद के लिये आगे आने वाले नागरिकों के प्रोत्साहन के लिए सरकार पुरस्कार या मुआवजे की व्यवस्था करे। (बाई स्टैण्डर या गुड समारिटन) सड़क यातायात दुर्घटना में घायलों की सहायता करने वाले व्यक्तियों को कानूनन किसी भी दाण्डिक या दीवानी दायित्व से मुक्त रखा जाए। सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाया तो जाता है किंतु इसमें प्रासंगिक और महत्वपूर्ण सर्वोच्च न्यायालय के आदेश, निर्देश व दिशा निर्देशों की जानकारी आम–जनता, पुलिस व यातायात अधिकारियों को नहीं हो पाती। इसलिए इस दिशा में प्रयास किये जाने चाहिए। अस्पतालों को चाहिए कि मदद करने वालों से इलाज के लिए फीस न मांगें।

निष्कर्ष –

सड़क दुर्घटनाओं में घायलों के मानवाधिकारों की रक्षा के लिए राज्य व राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को सशक्त बनाया जाना चाहिए अथवा मानवाधिकार न्यायालयों की स्थापना की जानी चाहिए।

इस क्षेत्र में पृथक से विधायन की भी आवश्यकता है, जैसे –घरेलू हिंसा को मानवाधिकार का विषय मानते हुए विधायिका ने अनुतोषात्मक विधायन पारित किया, वैसे ही विधायन की आवश्यकता सड़क दुर्घटनाओं व उनमें चिकित्सीय लापरवाही के विषय में भी है।

सन्दर्भ –

1. 'उपाध्याय जय जय राम' मानवाधिकार (2002) सेन्ट्रल लॉ एजेंसी, इलाहाबाद।
2. 'Report on Emergency Medical Service in India' – Present Status & Recommendation for Improvement, Prepared by Group Experts Constituted by National Human Rights Commission,Submited on 7th April 2004